(वाद सं0–2025/4/25/2023)

04.01.2024

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, विपिन कुमार, के पिता, विजय राउत, के साथ दिनांक–18.01.2023 को लाई का पैसा माँगने को लेकर 06 अभियुक्तों द्वारा शराब के नशे में गंभीर रूप से मार–पीट करने तथा इसमे उनके गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद नवादा सदर अस्पताल में दिनांक–22.01.2023 को हुई मृत्यु की सूचना पुलिस को देने के बाद भी पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, नवादा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस अधीक्षक, नवादा** के प्रतिवेदन के साथ **अनुलग्नित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,पकरीबरावॉ, नवादा** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **''परिवादी के लिखित आवेदन के आधार पर 06 नामांकित अभियुक्तो के विरूद्ध उसके पिता से लाई छीनकर खा लेने तथा पैसा मांगने पर गाली–गलौज एवं मार–पीट कर जख्मी कर देने व इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाने के आरोप में भा0दं0स0 की धाराओ 341/323/307/302/504/34 के अन्तर्गत काशीचक थाना कांड सं0–25/2023, दिनांक–24.01.2023 संस्थित किया गया है। पुलिस प्रतिवेदनानुसार अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि परिवादी का मृत्तक पिता, विजय राउत, नशेड़ी था तथा कथित धटना के दिन नशे की हालत में पुलिया पर लाई का टोकरी रखकर थकान के बाद बैठा हुआ था। इसी दौरान अचानक विजय राउत, अपना नियंत्रण खो बैठा तथा नीचे गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार प्रसंगाधीन कांड वर्तमान में अनुसंधानान्तर्गत है।''**

उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में पुलिस प्रतिवेदन का प्रतिवाद करते हुए पेन ड्राईब (Pen drive) सहित कुछ कागजात व फोटो देकर यह अनुरोध किया गया है कि उसके मामले में राज्य आयोग के

वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जांच कराकर उसे न्याय दिलाया जाय।

परिवादी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग द्वारा दिनांक–01.11.2023 को पारित आदेश द्वारा प्रसंगाधीन मामले की नियमानुसार जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन राज्य आयोग को समर्पित करने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना का जाँच प्रतिवेदन संचिका के (पृष्ठ 69–66/प0) पर रक्षित है। अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना का अपने जाँच प्रतिवेदन में कथन है कि ‘‘पुलिस द्वारा परिवादी के पिता, विजय राउत, के द्वारा दिये गये फर्द ब्यान के आधार पर दिनांक–22.01.2023 को प्राथमिकी दर्ज कर लेना चाहिए था, लेकिन काशीचक थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया। दिनांक–24.01.2023 को विजय राउत, की मृत्यु हो गई। जब शव को लेकर परिवादी के परिजन सड़क जाम करने लगे तब वरीय पुलिस पदाधिकारी के दबाव के कारण काशीचक थानाध्यक्ष्ज्ञ द्वारा एक नया आवेदन लेकर प्राथमिकी दर्ज किया गया। तत्कालीन थानाध्यक्ष काशीचक, पु0अ0नि0 नवीन कुमार, द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में घोर लापरवाही किया गया। परिवादी के पिता द्वारा मृत्यु से पहले दिये गये बयान को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पकरीबरावॉ द्वारा अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में प्रविष्टी करना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। इससे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पकरीबरावॉ, महेश चौधरी की भूमिका भी संदेहास्पद है। इस काण्ड में दिनांक–20.07.2023 को अंतिम प्रगति प्रतिवेदन निर्गत किया गया, जिसके 03 दिन बाद दिनांक–23.07.2023 को प्रतिवेदन–03 सह अंतिम आदेश निर्गत किया गया एवं अंतिम प्रगति प्रतिवेदन के 07 दिनों के अंदर अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुसंधान समाप्त कर अंतिम प्रपत्र सं0–168/23, दिनांक–30.07.2023 को न्यायालय में समर्पित कर दिया गया, जिससे परिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों को

बल मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और अनुसंधान के नाम पर केवल खानापूर्ति किये जाने के कारण तत्कालीन थानाध्यक्ष, काशीचक, नवीन कुमार, जिला–नवादा, सम्प्रति ERSS Patna, अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0 राधा कृष्ण चौधरी, थाना–काशीचक, जिला–नवादा दोषी प्रतीत होते है एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पकरीबरावॉ, महेश चौधरी, का आचरण भी संदिग्ध प्रतीत होता है।

अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा अपने जॉँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि ‘‘यदि मान्य हो तो पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को आदेश दिया जा सकता है कि धारा–173(8) के तहत् काण्ड का पुनः अनुसंधान किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी, या अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना की देखरेख में कराया जाय और दोषी पुलिस पदाधिकारी, के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।’’

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के जॉँच प्रतिवेदन (पृष्ठ 69–66/प0) की प्रति संलग्न कर, पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को भेजते हुए उनसे प्रसंगाधीन काण्ड के किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी या अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना से पुनः अनुसंधान कराने तथा दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध दिनांक–20.06.2024 के पूर्व कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) की मॉँग की जाय।

संचिका दिनांक–26.06.2024 को उपस्थापित की जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव